

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) की केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 के निर्णयानुसार उत्तर-पूर्व जिले के सभी अनुभाग/शाखाओं को निर्देशित किया जाता है कि माह अक्टूबर से दिसंबर, 2017 में राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्यों की एक त्रैमासिक रिपोर्ट तीन (3) दिन में हिन्दी अनुभाग को प्रेषित करें।

यह परिपत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व) की स्वीकृति से प्रेषित किया गया है।

अभिताभ

(अभिताभ रावत)
नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग,
उत्तर-पूर्व, कड़कड़ूमा कोर्ट,
दिल्ली।

परिपत्र की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

संख्या 16.८ - 16.१० /हिन्दी/2018/दिल्ली

दिनांक 12/12/18

1. निजी सचिव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. निजी सचिव, जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. रीडर, श्री अभिताभ रावत, वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश/ किराया नियंत्रक, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. प्रशासनिक विभाग, सामान्य शाखा, न्यायिक विभाग, जन सूचना एवं अधिकार शाखा, अवकाश विभाग, खरीद शाखा, लेरा अनुभाग, नजारत विभाग एवं समस्त शाखा/विभाग, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. वेबसाइट समिति, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली।

रैनू शर्मा
(रैनू शर्मा)

प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)
हिन्दी विभाग, उत्तर-पूर्व जिला,
कड़कड़ूमा न्यायालय,
दिल्ली।